

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
खनिज भवन, उदयपुर 313001, दूरभाष/2415091-95

क्रमांक:-निदे/सत/अवैध खनन/अनु.का./2023-24/26-63 दिनांक:-20.01.2024

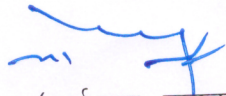
कार्यालय आदेश

प्रदेश में अवैध खनन/निगमन/भण्डारण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही/रोकथाम हेतु राज्य सरकार की जीरो टोलरेन्स नीति के तहत निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में राउण्ड द क्लॉक (24 X 7) राज्य स्तरीय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। उक्त नियन्त्रण कक्ष में किसी भी आमजन/संस्थान आदि द्वारा राज्य में हो रहे/किए जा रहे अवैध खनन/निगमन/भण्डारण की शिकायत दूरभाष/वाट्सएप सन्देश के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेगी। वाट्सएप नम्बर पर अवैध खनन की फोटो, विडियो, लोकेशन व अन्य जानकारी भी प्रेषित की जा सकेगी।

नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता-मु.) उदयपुर तथा सह प्रभारी सहायक निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय, उदयपुर होंगे।

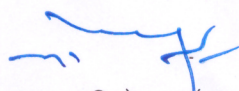
दूरभाष संख्या : 0294 2410651

वाट्सएप नं. : 94687 42101


(वाई.एस. सहवाल)
अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता-मु.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. तकनीकी सहायक/निजी सचिव निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, उदयपुर को आपके पत्रांक 48-49 दिनांक 20.01.2024 के क्रम में।
6. अतिरिक्त निदेशक (मु0)/पर्या. एवं विकास, निदेशालय उदयपुर।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय/सतर्कता (मु.) निदेशालय, उदयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) - जोन।
9. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत्त/सतर्कता।
10. समस्त खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता/सतर्कता।
11. नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. नोटिस बोर्ड।
13. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता-मु.)